



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H66474 /C-2/NGT-46/2021
Ref. No :

दिनांक 30-9-21
Date

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.
E-mail - judicial-ngt@gov.in

Sub: Submission of Compliance Report pursuant to the order dated 04.01.2021 passed by Hon'ble National Green Tribunal in appeal no. 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020 & 18/2020.

Sir,

In compliance of order dated 04.01.2021 passed by Hon'ble Tribunal in Appeal no. 14/2020 (Chandni Chemicals Pvt Ltd. Vs UPPCB), 15/2020 (Amelia Textiles and Chemicals Pvt Ltd. Vs UPPCB), 16/2020 (Rukmani Chemicals Ltd. Vs UPPCB), 17/2020 (Hilger Chem Pvt Ltd. Vs UPPCB) & 18/2020 (Waris Chemicals Pvt Ltd. Vs UPPCB), the compliance report is enclosed herewith.

It is requested that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary

Compliance Report of directions issued by Hon'ble NGT order dated 04.01.2021 passed by Hon'ble National Green Tribunal in appeal no. 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020 & 18/2020.

1. That In compliance of Hon'ble NGT order dated 27.09.201 passed in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, U.P. Pollution Control Board had imposed Environmental Compensation of Rs. 280.01 Crore against 06 defaulting industries responsible for illegal dumping of chromium waste at Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat vide letter dated 19.11.2019 on the basis of formula provided by Central Pollution Control Board and assessment of hazardous waste quantity dumped at that place by M/s ERM Consultant appointed by CPCB, after giving due opportunity through show cause notice dated 24.10.2019. The details of the Environmental Compensation imposed is as follows :

Sr. No.	Name & Address of industry	Environmental Compensation imposed on 19-11-2019 (in Rs.)
1	M/s Amelia Textiles & Chemicals Pvt Ltd, 23, Khanchadpur, Rania, Kanpur dehat.	399857850.00
2	M/s Cerulean Chemicals Pvt Ltd, Khanchadpur, Rania, Kanpur dehat.	533423812.50
3	M/s Chandni chemicals Pvt Ltd, Khanchandpur rania, Kanpur dehat.	399857850.00
4	M/s Heilger Chem Pvt Ltd, Vill-Chiraura Raipur, Rania, Kanpur dehat.	533423812.50
5	M/s Rukmani Chemicals Pvt Ltd. Rania, Kanpur dehat.	466780837.50
6	M/s Waris Chemicals Pvt Ltd. Khanchandpur, Rania, Kanpur dehat	466780837.50
	TOTAL	280,01,25,000.00

District Magistrate, Kanpur Dehat has issued RC for recovery of the dues against the above mentioned defaulter six units.

2. That the industries responsible for illegal dumping of chromium waste filed Appeal Nos. 14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 before Hon'ble Tribunal for getting relief in the matter of imposition of environmental compensation against them by Uttar Pradesh Pollution Control Board. The Hon'ble Tribunal has given following directions vide its order dated 04.01.2021:-

....." The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly.".....

3. That it is submitted that in compliance of Hon'ble NGT order dated 04.01.2021, U.P. Pollution Control Board has constituted a committee for hearing the appellants. U.P. Pollution Control Board has again given due opportunity to the appellants and the hearing was conducted on 16.03.2021. The Committee considered the representation of industries and report was sought from Regional Officer, Kanpur Dehat. Regional Officer, Kanpur Dehat has sent the site inspection reports of 06 industries on 13-07-2021. During inspection the chromium waste 1475 MT and 3177 MT was found stored in M/s Waris Chemicals Pvt Ltd, Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat and M/s Hilger Chem Pt Ltd, Village-Chiraura raipur, Kanpur Dehat respectively.
4. That it is submitted that on the basis of information given by applicants during hearing, more investigations were conducted and 05 other defaulter units engaged in production of Basic Chrome Sulphate have been identified, which

were responsible for dumping of Chromium waste over the said site. As per the investigation reports and records, the quantities of waste dumped by these 05 nos. of industries have been assessed on the basis of their production. Thus after proper consideration of representation submitted by appellants during hearing and their versions were duly considered and accordingly further investigation of other 5 units were conducted. As the result, final details of chromium waste quantities and amount of environmental compensation against following 11 units assessed by U.P. Pollution Control Board are as follows:

Sr. No.	Name & Address of industry	Waste Quantity (MT)	Revised Environmental Compensation (in Rs.)
1	M/s Amelia Textiles & Chemicals Pvt Ltd, 23, Khanchadpur, Rania, Kanpur dehat.	2545.921	114566431
2	M/s Cerulean Chemicals Pvt Ltd, Khanchadpur, Rania, Kanpur dehat.	15275.524	687398586
3	M/s Chandni chemicals Pvt Ltd, Khanchandpur rania, Kanpur dehat.	4773.601	214812058
4	M/s Heilger chem pvt ltd, villchiraura raipur, rania, kanpur dehat.	6334.125	285035616
5	M/s Rukmani Chemicals Pvt Ltd. Rania, Kanpur dehat.	8168.162	367567299
6	M/s Waris Chemicals Pvt Ltd. Khanchandpur, Rania, Kanpur dehat	7518.382	338327196
7	M/s Khanna Vivek Chemicals Pvt. Ltd. C30D, SiteI, Panki, Kanpur Nagar	1230.528	55373775
8	M/s Unicame India, Village Malo, GT Road, Chaubepur, Kanpur Nagar	7637.762	343699293
9	M/s IGS Chemical Pvtl Ltd, Plot No.211, Bhawanipur Mandhana, Kanpur Nagar	1782.144	80196502
10	M/s Kaleena Chemicals, Pvt. Village Malo, GT Road, Chaubepur, Kanpur Nagar	3139.969	141298598
11	M/s Rahman Industries Ltd, (Old Name Bharat Chemical Udhog) 1002, 1003, Akrapur, Chakampur, Unnao	3818.881	171849646
	TOTAL	62225 MT	280,01,25,000

5. U.P. Pollution Control Board has issued show cause notices for imposition of Environmental Compensation against 05 newly identified units out of 11 units mentioned above at serial no. 7 to 11, also responsible for illegal dumping of chromium waste vide letter dated 29-09-2021. After getting response from these 5 units and following the due process of law appropriate orders will be passed by UPPCB for imposition of Environmental Compensation. The copy of letters dated 29-09-2021 are enclosed herewith and marked as **Annexure No.-1.**

The above compliance report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

LUCKNOW

DATED: 30-09-2021



(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary
U.P. Pollution Control Board



क्षेत्रीय कार्यालय : 30प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ:- 1071/K-152/21
सेवा में,

दिनांक 29.09.21
पंजीकृत

मेसर्स खन्ना विवेक केमिकल्स प्रा0लि0,
सी-30-डी, साइट-1, पनकी
कानपुर नगर।

विषय:- खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से क्रोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी0टन क्रोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रूपये 280.125 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दायर अपील सं0-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली दोषी इकाइयाँ चिन्हित की गयी है, जिसमें मेसर्स खन्ना विवेक केमिकल्स प्रा0लि0 सी-30-डी, साइट-1, पनकी, कानपुर नगर सम्मिलित है। उद्योग के उत्पादन के आधार पर खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में उद्योग द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 1230.528 मी0टन आंकलित की गयी है।

खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में, बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली आपकी इकाई से जनित क्रोमियम वेस्ट के असुरक्षित निस्तारण एवं भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 5,53,73,775.00 आंगणित की गयी है।

.....2.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्याणपुर, कानपुर नगर- 208 017

ई-मेल : rokanpur@uppcb.in, फोन : 0512- 2510999

BCS_Show cause notice_2021

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त संदर्भित उद्योग के विरुद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मेसर्स खन्ना विवेक केमिकल्स प्रा०लि० सी-30-डी, साइट-1, पनकी, कानपुर नगर पर रू० 5,53,73,775.00 (रू० पांच करोड़ तिरपन लाख, तिहत्तर हजार सात सौ पच्हत्तर मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपको प्रश्नगत प्रकरण में कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्तानुसार उद्योग के विरुद्ध 5,53,73,775.00 (रू० पांच करोड़ तिरपन लाख, तिहत्तर हजार सात सौ पच्हत्तर मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय



क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय : उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ:- 1072/U-1/21
सेवा में,

दिनांक 29.09.21
पंजीकृत

मेसर्स यूनिकेम इण्डिया
ग्राम मालो, जी०टी० रोड, चौबेपुर,
कानपुर नगर।

विषय:- खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से क्रोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी०टन क्रोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रुपये 280.125 करोड की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा० एन०जी०टी० में दायर अपील सं०-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली दोषी इकाइयों चिन्हित की गयी है, जिसमें मेसर्स यूनिकेम इण्डिया ग्राम मालो, जी०टी० रोड, चौबेपुर, कानपुर नगर सम्मिलित है। उद्योग के उत्पादन के आधार पर खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में उद्योग द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 7637.762 मी०टन आंकलित की गयी है।

खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में, बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली आपकी इकाई से जनित क्रोमियम वेस्ट के असुरक्षित निस्तारण एवं भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 34,36,99,293.00 आंगणित की गयी है।

.....2.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्यानपुर, कानपुर नगर- 208 017

ई-मेल : rokanpur@uppcb.in, फोन : 0512- 2510999

BCS_Show cause notice_2021

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संदर्भित उद्योग के विरुद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मेसर्स यूनिकेम इण्डिया ग्राम मालो, जी0टी0 रोड, चौबेपुर, कानपुर नगर पर रू0 34,36,99,293.00 (रू0 चौतीस करोड़ छत्तीस लाख, निन्यानबे हजार दो सौ तेरानबे मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपको प्रश्नगत प्रकरण में कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्तानुसार उद्योग के विरुद्ध 34,36,99,293.00 (रू0 चौतीस करोड़ छत्तीस लाख, निन्यानबे हजार दो सौ तेरानबे मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय


क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय : 30प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ:- 1070/I-18/21
सेवा में,

दिनांक 29.09.21
पंजीकृत

मेसर्स आई0जी0एस0 केमिकल्स प्रा0लि0,
प्लाट नं0-211, भवानीपुर, मंधना
कानपुर नगर।

विषय:- खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से क्रोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी0टन क्रोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रूपये 280.125 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दायर अपील सं0-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली दोषी इकाइयाँ चिन्हित की गयी है, जिसमें मेसर्स आई0जी0एस0 केमिकल प्रा0लि0, प्लाट नं0-211, भवानीपुर मंधना, कानपुर नगर सम्मिलित है। उद्योग के उत्पादन के आधार पर खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में उद्योग द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 1782.144 मी0टन आंकलित की गयी है।

खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में, बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली आपकी इकाई से जनित क्रोमियम वेस्ट के असुरक्षित निस्तारण एवं भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 8,01,96,502.00 आंगणित की गयी है।

.....2.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्यानपुर, कानपुर नगर- 208 017

ई-मेल : rokanpur@uppcb.in, फोन : 0512- 2510999

BCS_Show cause notice_2021

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संदर्भित उद्योग के विरुद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मेसर्स आई0जी0एस0 केमिकल प्रा0लि0, प्लॉट नं0-211, भवानीपुर मंघना, कानपुर नगर पर रू0 8,01,96,502.00 (रू0 आठ करोड़ एक लाख, छयानबे हजार पांच सौ दो मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपको प्रश्नगत प्रकरण में कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्तानुसार उद्योग के विरुद्ध 8,01,96,502.00 (रू0 आठ करोड़ एक लाख, छयानबे हजार पांच सौ दो मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय


क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय : 30प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ:- 1069/K-77/21
सेवा में,

दिनांक 29.09.21
पंजीकृत

मेसर्स कलीना केमिकल्स प्रा0लि0,
ग्राम मालो, जी0टी0 रोड, चौबेपुर,
कानपुर नगर।

विषय:- खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप से कोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी0टन कोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रुपये 280.125 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दायर अपील सं0-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली दोषी इकाइयाँ चिन्हित की गयी है, जिसमें मेसर्स कलीना केमिकल्स प्रा0लि0, ग्राम मालो, जी0टी0 रोड, चौबेपुर, कानपुर नगर सम्मिलित है। उद्योग के उत्पादन के आधार पर खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में उद्योग द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये कोमियम वेस्ट की मात्रा 3139.969 मी0टन आंकलित की गयी है।

खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में, बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली आपकी इकाई से जनित कोमियम वेस्ट के असुरक्षित निस्तारण एवं भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 14,12,98,598.00 आंगणित की गयी है।

.....2.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्यानपुर, कानपुर नगर- 208 017
ई-मेल : rokanpur@uppcb.in, फोन : 0512- 2510999

BCS_Show cause notice_2021

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त संदर्भित उद्योग के विरुद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मेसर्स यूनिकेम इण्डिया ग्राम मालो, जी0टी0 रोड, चौबेपुर, कानपुर नगर पर रू0 14,12,98,598.00 (रू0 चौदह करोड़ बारह लाख, अठठानबे हजार पांच सौ अठठानबे मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपको प्रश्नगत प्रकरण में कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्तानुसार उद्योग के विरुद्ध 14,12,98,598.00 (रू0 चौदह करोड़ बारह लाख, अठठानबे हजार पांच सौ अठठानबे मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय


क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बी-18/3, आवास विकास कालोनी,
उन्नाव

पत्रांक - 915/सहस्र 1/40/21
सेवा में,

दिनांक - 29/09/21
पंजीकृत

मेसर्स रहमान इण्डस्ट्रीज लिमि०,
(पुराना नाम मै० भारत केमिकल उद्योग)
1002, 1003, अकरमपुर-चकरमपुर, जनपद-उन्नाव।

विषय:- खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से क्रोमियम अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप डम्प 62225 मी०टन क्रोमियम वेस्ट हेतु उत्तरदायी 06 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा कुल रूपये 280.125 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उद्योग स्वामियों द्वारा मा० एन०जी०टी० में दायर अपील सं०-14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 में दिनांक 04.01.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं -

"The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

उपरोक्त आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में अपीलकर्ताओं की सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2021 द्वारा समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को बोर्ड मुख्यालय में उद्योग स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उद्योगों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली दोषी इकाइयों चिन्हित की गयी है, जिसमें मेसर्स रहमान इण्डस्ट्रीज लिमि०, (पुराना नाम मै० भारत केमिकल उद्योग) 1002, 1003, अकरमपुर-चकरमपुर, जनपद-उन्नाव सम्मिलित है। उद्योग के उत्पादन के आधार पर खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में उद्योग द्वारा अवैध रूप से डम्प किये गये क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 3451.618 मी०टन आंकलित की गयी है।

खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में, बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली आपकी इकाई से जनित क्रोमियम वेस्ट के असुरक्षित निस्तारण एवं भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये-17,18,49,646.00 (रु० सत्रह करोड़, अट्ठारह लाख, उन्चास हजार, छः सौ छियालिस मात्र) आंगणित की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संदर्भित उद्योग के विरुद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मेसर्स रहमान इण्डस्ट्रीज लिमि०, (पुराना नाम मै० भारत केमिकल उद्योग) 1002, 1003, अकरमपुर-चकरमपुर, जनपद-उन्नाव पर रूपये-17,18,49,646.00 (रु० सत्रह करोड़, अट्ठारह लाख, उन्चास हजार, छः सौ छियालिस मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए?

.....2.....

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपको प्रश्नगत प्रकरण में कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्तानुसार उद्योग के विरुद्ध रूपये-17,18,49,646.00 (रु० सत्रह करोड़, अट्ठारह लाख, उन्चास हजार, छः सौ छियालिस मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय


(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

७/

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।


29/9/21
क्षेत्रीय अधिकारी

७/

  